



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-1487/12-1, कोटबंगला, दिनांक/3/10/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती,
उत्तराखण्ड।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिन्यालीसीड़ के बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक- 653/12-1, दिनांक- 22.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी महोदय के पत्रांक- 654/FP/UK/ROAD/21335/2016, दिनांक- 04.09.2021 से प्रश्नगत प्रकरण में जारी बिन्दु संख्या- 05, 08 एवं 09 का निराकरण नहीं किया गया है।

उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की चाही गई सूचना/आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	आख्या
05	It is seen from the proceeding of District level committee meeting 1.525 ha. Area is mentioned instead of 7.152 ha. In the DLC meeting proceedings. Further date is also not mentioned. State Govt. May submit clarification in this regard and submit the correct document.	याचक विभाग द्वारा डी०एल०सी० प्रपत्र में क्षेत्रफल को 1.52 है० के स्थान पर 7.152 है० इंगित की दिया गया है। उक्त प्रपत्र की प्रति भाग-1 में Additional Information के क्रमांक-72 तथा भाग-2 के Additional Information के क्रमांक-09 में अपलोड किया जा चुका है एवं प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
08	It is seen that KML file of 9.70 ha. Area found uploaded instead of 14.304 ha. CA area. State Govt. may upload the CA area of 14.30 ha.	उक्त आपत्ति का निराकरण किया जा चुका है। याचक विभाग द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के पार्ट-1 के पैरा-L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित के०एम०एल० फाईल अपलोड की जा चुकी है।
09	As per DSS analysis 1.0 ha. Area found in MDF. State Government may submit a field inspection report of DFO regarding the suitability of the area for plantation as per the guidelines. The State Government should also submit the species-wise and girth-wies list of tres present in the propoesd for CA. In case the area is having destity as per DSS then the DFO may proposed additional degraded forest land in proportion which can accommodate required number of saplings as per CA scheme.	विषयगत परियोजना स्थल 02 वन प्रभागों क्रमशः उत्तरकाशी वन प्रभाग तथा अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के अन्तर्गत विद्यमान है, जिस कारण उक्त परियोजना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल 02 वन प्रभागों में प्रस्तावित है। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.834 है० तथा अपर यमुना वन प्रभाग के अन्तर्गत 7.470 है० अर्थात् कुल 14.304 है० चयनित किया गया है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कुल क्षेत्रफल 6.834 है० का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र को भाग-2 के Additional Information में अपलोड कर दिया गया है तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

o/c

भवनी,

(डी०पी० बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी


उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।


सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता
प्रमाण पत्र


1. परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/UK/ROAD/21335/2016
2. परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा यमुनोत्री के विकासखण्ड विन्धालीसौद के अन्तर्गत बणगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग
3. परियोजना का क्षेत्रफल :- 3.417 है०
(उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत)
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल :- 6.834 है०
(उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत)
5. प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता :- निर्माणा खण्ड लोक निर्माण विभाग ~~विन्धालीसौद~~
6. वन विभाग का नाम :- उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धरासू रेज के अन्तर्गत चयनित सिविल भूमि ग्राम जेमर खसरा नं० 1 रकवा 1.128 है० खसरा नं० 98 रकवा 0.439 है० खसरा नं० 1778 रकवा 0.582 है० ग्राम बडेथ खसरा नं० 775 रकवा 1.621 है० ग्राम मैनोल खसरा नं० 1089 रकवा 1.469 है० खसरा नं० 4213 रकवा 0.955, खसरा नं० 4496 रकवा 0.439 है०, जिसका कुल रकवा 6.834 है० का स्थलीय निरीक्षण अघोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व वास्तव मे 0.40 से कम प्रतीत होती है तथा प्रस्तावित क्षेत्र मे 1100 पौध प्रति है० की दर से रोपित हो सकते हैं।


अतः उक्त प्रस्तावित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।


राजेश्वर उपनिरीक्षक
वन प्रभाग
तहसील (उ००५)
जिला उत्तरकाशी


(अनजान सिंह)
वन प्रभाग
लोक निर्माण विभाग


(अनंद सिंह)
वन प्रभाग
सुभाष


वन क्षेत्राधिकारी,
धरासू वनराजि


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसीड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (७.०० किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव
FORM-I

(for linear projects)
uttarkashi

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector
Dated-19-07-2016

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.152 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works department...chinyalisour uttarkashi** for road construction in **uttarkashi district** falls within jurisdiction of Bangoan-Chapra-Kaslana.village (s) in **chinyalisour** and Barkot tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 7.152 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

प्रतिप्रस्ताव
(D. ~~...~~)
District Collector-uttarkashi

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi, district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. D.K. Choudhury I.A.S. District Magistrate Uttarkashi on dated 19/7/11 at Uttarkashi, in which application claiming rights in forest land area measuring 7.152. hect for the construction of Bangwan-chapra-kaslana motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalsaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Uttarkashi.....
Dated:.....

डिप्टी कमिश्नर
उत्तरकाशी
(D.K. Choudhury)

District Magistrate-Uttarkashi

[Handwritten signature]

प्रारूप-30.2

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड के बनगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्वालीसौड

उपखण्ड चिन्वालीसौड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.417 हे०) आरक्षित वन भूमि 2.292 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि रिक्त वन पंचायत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.125 हे० अर्थात् कुल (3.417 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्वालीसौड) की दिनांक 19-7-11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा
- 2- श्री आर०वी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू
- 3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्वालीसौड
- 4- श्री विजेन्द्र सिंह रावत वी०डी०सी० क्षेत्र चिन्वालीसौड

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य / सचिव
सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.417 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डुण्डा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~वनजाँव-चापड़ा-~~ ~~कसलामा-गम~~ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रारूप-30.2

परिष्कारण का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्चालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति नौगांव

उपखण्ड चिन्चालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.735 हे०) आरक्षित वन भूमि 2.065 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.63 हे० वन प्रयोग्य भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.04 हे० अर्थात् कुल (3.735 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रमाणता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 31.12.2012 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाण्डे उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1 श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी बड़कोट
- 2 उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव
- 3 सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव
- 4 श्रीमती रचना बहुगुणा बी०डी०सी० क्षेत्र नौगांव

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य / सचिव


सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की आगुआई से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.735 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनवासी का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट रूप से जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा प्रमाणता

द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

● बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्धालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.735 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- बड़कोट
जनपद उत्तरकाशी

ना का ना

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उशरकाशी के विकास खण्ड शिव्यालीरीड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 7 152 हे० आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कसलाना
तहसील-----, जिला-उत्तराखण्ड

अनापत्ति प्रमाण पत्र

खण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (3.105 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे० सिविल सोयम भूमि, 2 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 3.735 हे० वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कसलाना द्वारा दिनांक 3/5/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार नियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

घा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कसलाना के वासियों को उक्त वन भूमि 3.735 नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम पंचायत, कसलाना
ग्राम पंचायत सचिव
कसलाना



परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्गलीरीक के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (0.00 किमी लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चापड़ा
तहसील किसौंड, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

विकासखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (6.522 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.63 हे० सिविल सोयन भूमि, ~~1.152~~ हे०, वन पंचायत भूमि Nil हे०) अर्थात् कुल 7.152 हे० वन भूमि का नो नो विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चापड़ा द्वारा दिनांक 20.6.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी रज कब्जा/कृषि का अध्या नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर जनवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

उपरोक्त उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चापड़ा के जनवासियों को उक्त वन भूमि लोकसिमा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाँ गया एवं सही है।

[Handwritten signature]

FO/-

युम म...

दिनांक 3/5 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कसलाना

ब नाम-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्त्यालीरीक के बनगाव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हे० आरक्षित धन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

अधीन

अधीन

प्रारूप-30.4

दिनांक 26/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत
.....

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्त्यालीसौंड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी. लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दीवान दास	दीवान दास
	चैन सिंह राठा	चैन सिंह
	शूरवीर सिंह	शूरवीर सिंह
	दिनेश लाल	दिनेश लाल
	अजुन सिंह	अजुन सिंह
	श्रीशपाल	श्रीशपाल
	राजभा लाल	राजभा लाल
	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
	कैदार सिंह	कैदार सिंह
	पित्तु सिंह	पित्तु सिंह
	सुमिल	सुमिल
	अमित	अमित
	हुकम सिंह	हुकम सिंह
	अकबर सिंह	अकबर सिंह
	राम	राम
	महवीर	महवीर
	अजयपाल सिंह	अजयपाल सिंह
	अरवि-द सिंह	अरवि-द सिंह
	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
	परम सिंह	परम सिंह
	सुभाष लाल	सुभाष लाल
	विजयपाल सिंह	विजयपाल सिंह
	उत्तम सिंह	उत्तम सिंह
	पवन सिंह	पवन सिंह
	मनवीर	मनवीर
	जगवीर सिंह	जगवीर सिंह
	जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह

उप प्रधान
ग्राम पंचायत चौपड़ा
विकारा खण्ड नौगांव (50का0)



**It is cetified that –Minutes of meeting of Bangoan-Chara-Kasalana road
(Length 9.00 Km.) Regarding FRA is as following:-**

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire 7.152 Het of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given Consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Motar road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recogniged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

SH
 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी








R. K. Sharma
 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी

(Signature)
(D.K. Gaur)
 District Magistrate-cum-chairman
 District Level Committe
 Uttarkashi

जिला स्तरीय समिति, जिला-उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/07/2016 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड





चिन्थालीसौड़ के ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.152 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डी०के० चौधरी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री विश्वनाथ नरेन्द्र यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	 जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
3	श्री जी.के. रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	 19/07/16
4		प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट	 जितेन्द्र सिंह सदस्य
5	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य	 जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत टा जिला पंचायत समिति
6	श्रीमती अनीता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य	 जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत टा जिला पंचायत समिति
7	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य -16 इलाहाबाद ग- उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19-7-16 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम- वनगोब - चिन्यालीसौड़ मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर०बी० सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	
4	श्री बिजेन्द्र सिंह रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़	

कार्यालय उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, नौगांव उत्तरकाशी।

आज दिनांक 31/5/2022 को चिन्यालीसीड़ से ग्राम-~~...~~ नौगांव
मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत
उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में हुयी
मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-




क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजकुमार पाण्डे	उपजिलाधिकारी बड़कोट	R.K.P.
2	श्री. अ. वि. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव	...
3	श्री. अ. वि. रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव	...
4	श्रीमती रचना बहुगुणा	बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	R.Chugh

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।

आज दिनांक ...19-7-16...को चिन्यालीसौड से ग्राम- ~~चिन्यालीसौड~~ ~~चिन्यालीसौड~~ ~~चिन्यालीसौड~~

मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर0बी0 सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	
4	श्री विजेन्द्र सिंह रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	